भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 19
उत्तर देने की तारीख – 01/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

19. **श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और अवसंरचना की कमी के समाधान के लिए मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या वर्ष 2025-26 के लिए इन क्षेत्रों में स्कूली बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) स्कूल और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से एकीकृत स्कूल शिक्षा हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा की शुरूआत की है। यह योजना तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत मौजूदा सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने और अवसंरचना सुधार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों (लड़कों, लड़कियों और सीडब्ल्यूएसएन के लिए), पेयजल, बिजली, चारदीवारी, पुस्तकालयों, आईसीटी सुविधाओं और डिजिटल कक्षाओं के निर्माण का प्रावधान शामिल है। एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के डेटा का उपयोग करके अवसंरचना आवश्यकताओं की पहचान प्रति वर्ष की जाती है। ये वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होते हैं, जिसकी समीक्षा और अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा वित्तीय मानदंडों, पिछली प्रगति और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और उनकी युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आती है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या अथवा नए स्कूलों को समायोजित करने की आवश्यकता के कारण शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। समय पर भर्ती के लिए एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित योजना और पूर्वानुमान कार्य करना प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। यह यथा संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विभाग नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से शिक्षक के रिक्त पदों को भरने और युक्तिसंगत तैनाती सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए परामर्श जारी करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, मध्य प्रदेश राज्य को कुल 702736.86 लाख रुपये की निधि अनुमोदित की गई है। इस राशि में आईसीटी लैब, स्मार्ट कक्षाकक्ष और विषय-विशिष्ट प्रयोगशालाओं से संबंधित प्रावधानों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा घटक के तहत स्वीकृत 36734.69 लाख रुपये, साथ ही उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में डीआईईटी की सहायता हेतु शिक्षक शिक्षा घटक के तहत अनुमोदित 11663.06 लाख रुपये शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को कुल 10972.68 लाख रुपये की निधि अनुमोदित की गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, महाराष्ट्र राज्य को कुल 267397.05 लाख रुपये की निधि अनुमोदित की गई है। इस राशि में आईसीटी लैब, स्मार्ट कक्षाकक्ष और विषय-विशिष्ट प्रयोगशालाओं से संबंधित प्रावधानों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा घटक के तहत अनुमोदित 14443.10 लाख रुपये

और साथ ही उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में डीआईईटी की सहायता हेतु शिक्षक शिक्षा घटक के तहत अनुमोदित 9059.44 लाख रुपये शामिल हैं।

*****